

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक- 09 फरवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन नवीन योजना-राज्य भूजल संरक्षण मिशन की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1087जी/भू०ज०वि०बी-1/डब्लू, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-18/2017/1122/62-1-2017-1104/2016 टीसी-॥, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन भूगर्भ जल के कार्यक्रम की राजस्व-पूंजीगत पक्ष में नवीन योजना यथा-"राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना" में प्राविधानित धनराशि रू० 366.50 लाख (रूपया तीन करोड छ्ठाठ लाख पचास हजार मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में रू० 183.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, किन्तु पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्षक-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-17-राज्य भूजल संरक्षण मिशन-24-वृहत निर्माण कार्य मद में निर्गत धनराशि रू० 21.00 लाख एवं अवशेष धनराशि रू० 21.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू० 42.00 लाख को उक्त लेखाशीर्षक में ही 25-लघु निर्माण कार्य मद में रू० 42.00 लाख की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर शासन के पत्र संख्या-1540/62-1-2017-1104/2016टीसी-11, दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

2- इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन भूगर्भ जल के कार्यक्रम की राजस्व पक्ष में नवीन योजना यथा-"राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना" में प्राविधानित धनराशि रू0 366.50 लाख (रूपया तीन करोड़ छ्छठ लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में निम्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नवीन योजना-

राजस्व पक्ष

(अ) "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-12-राज्य भूजल संरक्षण मिशन।"

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	कोड	मानक मद	वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु द्वितीय किश्त के रूप में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	
1	08	कार्यालय-व्यय	30.00	15.00	15.00
2	11	लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	5.50	2.75	2.75
3	15	गाडियों का अनुरक्षण/पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	7.50	7.50
4	16	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	185.00	92.50	92.50
5	18	प्रकाशन	15.00	7.50	7.50
6	26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	18.00	9.00	9.00
7	42	अन्य व्यय	46.00	23.00	23.00
8	43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	10.00	5.00	5.00
		योग	324.50	162.25	162.25

(रूपया एक करोड़ बहसठ लाख पचीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के वास्तविक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण, व्यय प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय ।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत भूगर्भ जल कार्यक्रम की चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है 1 अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक सीमित रखा जाय । व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी । अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र खण्डीय अधिकारियों को आवंटित करते हुए शासन को अवगत कराया जाय।

(5) विभिन्न लेखानुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइड-लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) मशीनें आदि के सम्बन्ध में स्वीकृत की जा रही धनराशि संगत शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया/व्यवस्था अनुसार की जायेगी।

(8) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(10) वृहद निर्माण कार्य नियमानुसार कार्यदायी संस्था का चयन कर कराये जाय।

(11) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आवश्यकतानुसार ई-टेण्डरिंग के प्रावधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन " लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भूजल-005-अन्वेषण-12-राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना" में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह)

विशेष सचिव ।

संख्या- /2018/1767 (1)/62-1-2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद ।
- (3) नियोजन अनुभाग-3, 30प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ०प्र०शासन ।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ०प्र०शासन ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- (7) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।